न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

सीगा मुन्तकिली प्रकरण सं. 93/2024 (GCMS 2024/129)

1. **जगदीश पुत्र राम प्रताप** जाति जाट निवासी गांव बींझबायला, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान

बनाम

1. **रायसाहब** पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट निवासी गांव बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. **महेन्द्र** पुत्र कृष्ण लाल जाति जाट निवासी गांव बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
3. **उपखण्ड अधिकारी,** राजस्व पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

07.10.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री मुकेश कुमार एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता श्री प्रदीप सिहाग उपस्थित हुए। उभयपक्ष को सुना गया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2024 अनवानी रायसाहब वगै. बनाम जगदीश वगै. अन्तर्गत धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम में निष्पक्ष न्याय न मिलने की सम्भावना व्यक्त कर, अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ पेश किया था। अब चूंकि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर कर अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है, इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी हो गया है, इसलिए इसे खारिज करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण होने के कारण, प्रकरण को खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:35:33 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

प्रकरण संख्या 30/2024 अनवानी रायसाहब वगै. बनाम जगदीश वगै. में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना को लेकर अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुंतकिल करने के लिए यह मुंतकिली प्रार्थना पत्र पेश किया था। अब चूंकि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 07.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायलय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2024.11.26 17:35:33 IST
Reason: SelfAttested